प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 36/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार " पर अनुशंसाए जारी कीं।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" के लिए अनुशंसाए जारी की हैं।

2. हाल की मीडिया रिपोर्टों में हाई-स्पीड इंटरनेट तक पहुँचने में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जो ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, लद्दाख के कई दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क की समस्या होती है, विशेष रूप से एलएसी और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोगों के लिए। चूंकि ये क्षेत्र रणनीतिक महत्व के हैं, इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को चौबीसों घंटे संचार की सुविधा देकर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।

3. भादूविप्रा ने ऑपरेटिंग टीएसपी से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट डेटा की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ चालू यूएसओएफ प्रायोजित दूरसंचार परियोजनाओं और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धता का विवरण प्राप्त किया। सरकार द्वारा प्रायोजित यूएसओएफ योजनाओं के अंतर विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर, भादूविप्रा ने "लद्दाख के दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीकॉम कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाए प्रदान की हैं।

4. इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-

क) लद्दाख में 3 गांव ऐसे हैं, जिनके पास न तो कोई कवरेज है और न ही उन्हें चल रही योजनाओं में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के साथ चर्चा के दौरान, बीएसएनएल ने संकेत दिया है कि इन गांवों को ' 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति'

परियोजना के तहत शामिल किया जाएगा। हालांकि, यूएसओएफ को '4 जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति' परियोजना के तहत लद्दाख के 3 छूटे हुए गांवों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए।

ख) लद्दाख में 19 गांव ऐसे हैं जिनके पास न तो 4जी कवरेज है और न ही वे 4जी कवरेज देने के लिए चल रही योजनाओं में शामिल किए गए हैं। इन 19 गांवों में मौजूदा गैर-4जी आधारित सेलुलर मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए होने वाले कैपेक्स और ओपेक्स व्यय को यूएसओएफ के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। इन 19 गांवों में से 12 में, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि भारतनेट के अंतर्गत प्रदान की गई वीएसएटी कनेक्टिविटी 4जी कनेक्टिविटी के लिए बैकहॉल के रूप में भी दोगुनी हो सकती है। शेष 7 अनाच्छादित गाँवों में, साझा आधार पर वीएसएटी कनेक्टिविटी पर तब तक विचार किया जाना चाहिए जब तक कि ओएफसी मीडिया पर कनेक्टिविटी इन गांवों तक नहीं पहुंच जाती।

ग) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी ऑपरेटिंग टीएसपी को अन्य टीएसपी/आईएसपी को पट्टे/किराए पर या पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के माध्यम से अपनी अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया संसाधन क्षमता तक उचित और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर की टर्म फील्ड यूनिट और सभी टीएसपी के प्रतिनिधियों की एक समिति का जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए ताकि सभी टीएसपी से रिसोर्स पूलिंग में मदद मिल सके। डीओटी मुख्यालय में समय-समय पर समीक्षा करने और किसी भी प्रभावित संस्था द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी बाधा को हल करने के लिए एक दूसरे स्तर की समिति का भी गठन किया जाना चाहिए।

घ) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि अतिरिक्त बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए पट्टेदार (एक टीएसपी) द्वारा किसी पट्टाकर्ता टीएसपी को भुगतान किए गए शुल्क को लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) पर पहुंचने के लिए पट्टाकर्ता के सकल राजस्व से घटाया जाना चाहिए।

ङ) रूपशु एक ऐसा ब्लॉक मुख्यालय है जिसमें कोई ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है। यूएसओएफ को रुपशु ब्लॉक मुख्यालय से न्योमा/चुमाथांग तक ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहॉल कनेक्टिविटी के लिए धन प्रदान करना चाहिए।

च) लाइसेंस प्राप्त टीएसपी को सेवा मांग की प्रतीक्षा सूची बनानी चाहिए। दूरसंचार विभाग को सभी टीएसपी से प्रतीक्षा सूची पर डेटा प्राप्त करने, उसकी जांच करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

छ) दूरसंचार विभाग लद्दाख में दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को जोड़ने के लिए टीएसपी/आईपी-आईएस से RoW शुल्क नहीं वसूलने के मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठा सकता है। आरओडब्ल्यू नियमों को आरओडब्ल्यू नियम 2016 के अनुरूप होना चाहिए।

ज) दूरसंचार विभाग को लद्दाख सहित देश में रणनीतिक महत्व के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में VSAT आधारित वैकल्पिक संचार ओवरले की योजना बनानी चाहिए, जो स्थलीय कनेक्टिविटी के साथ ऐसे सभी क्षेत्रों में बैकअप संचार माध्यम के रूप में सह-अस्तित्व में होना चाहिए। यह प्राकृतिक आपदा या ऐसे क्षेत्रों में सीमा संघर्षों के कारण उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण संचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

झ) भादूविप्रा ने हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार को अनुशंसाए की हैं, जिनमें से कई लद्दाख के लिए भी मान्य हैं। उपयोगिता/औद्योगिक टैरिफ पर प्राथमिकता के रूप में दूरसंचार साइटों को बिजली प्रदान करने, दूरसंचार साइटों आदि के लिए बिजली के कनेक्शन के विस्तार के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क माफ करने की अनुशंसाओं को आवश्यक परिवर्तनों सहित लद्दाख पर भी लागू किया जाना चाहिए।

ञ) दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक दूरसंचार स्थलों पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए धन प्राप्ति की योजना बनाने के लिए दूरसंचार विभाग को एमएनआरई और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ बात करनी चाहिए।

ट) डीओटी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, एनएचएआई और बीआरओ के साथ यह मुद्दा उठाना चाहिए कि सभी सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, या अन्य संबंधित कार्य टीएसपी को शामिल करते हुए पूर्व समन्वय के साथ किए जाने चाहिए और टीएसपी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार की देनदारी को अनुबंधों में शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग को भविष्य के सभी सड़क चौड़ीकरण और नई सड़क निर्माण परियोजनाओं में

उपयोगिता नलिकाओं का निर्माण, और दोष दायित्व अवधि के दौरान उपयोगिता सेवा प्रदाताओं को RoW अनुमति देने पर कोई प्रतिबंध की भी संभावना तलाशनी चाहिए।

ठ) दूरसंचार विभाग को ऐसी सभी साइटों का साइट-वार विश्लेषण करना चाहिए जो कि बीएसएनएल या किसी अन्य टीएसपी द्वारा लद्दाख में दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में VSAT पर चलाए जा रहे हैं। ऐसी सभी साइटों के लिए जो सरकार की रणनीतिक या सेवा वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही हैं, इन साइटों को चलाने की पूरी परिचालन लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

5. अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। स्पष्टीकरण/जानकारी, यदि कोई हो, के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण/नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23236119 पर या advbbpa@trai.gov.in पर ईमेल से संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा